

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
सूची संलग्न ।

पटना, दिनांक 11/3/19

विषय- मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन उपशीर्ष-के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए केन्दांश के तहत कुल- 43000000 /-(चार करोड़ तीस लाख) रुपये मात्र अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत मांग सं0-20 विपत्र कोड सं0-20-2211001010205 में वित्तीय वर्ष-2018-19 के लिए केन्दांश के तहत कुल- 43000000 /-(चार करोड़ तीस लाख) रुपये मात्र अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक-17.04.98 एवं 159 वि0 (2) दिनांक-20.03.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. यह आवंटन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में कार्यरत एल0एच0भी0/ ए0एन0एम0 के ही वेतानादि भुगतान हेतु निर्गत किया जा रहा है।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त एवं कार्यरत कर्मचारियों का ही वेतनादि का भुगतान करेंगे।
5. चालू वर्ष के वेतन भुगतान सुनिश्चित कर ही आवंटित राशि से बकाया भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति एवं न्यायादेश के आलोक में यदि वेतनादि भुगतान का मामला लम्बित हो तो सर्वप्रथम उपलब्ध आवंटन से भुगतान की कार्यवाई करेंगे। इकाई मदवार अद्यतन व्यय विवरणी के साथ संभावित अतिरिक्त आवंटन का इकाई मदवार अधियाचना विहित प्रपत्र में किया जाय।
6. स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्रालय, भारत सरकार नई, दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-एम0-11018/1/2006-FWD दिनांक-20.04.2006 के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2005-06 से स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के अधीनस्थ ऐच्छिक कार्य कर्ताओं का मासिक मानदेय, किराये पर संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का मकान भाड़ा, आकस्मिकताएं (कार्यालय व्यय) का भुगतान RCH Flexible Pool से किया जाना है अतः इस हेतु प्रस्तुत आवंटन में राशि का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। इसका भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया जायेगा।
7. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने-अपने जिलों के लिए प्राप्त आवंटन से अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यकता अनुसार राशि का उप आवंटन अपने स्तर से करेंगे।
8. इस राशि का व्यय मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण-केन्द्र प्रायोजित योजना-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन 20-2211001010205 उपशीर्ष के अन्तर्गत वहन होगा तथा चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

Q

9. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्व की भांति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार, पटना होंगे।
10. आवंटित राशि का जिला स्तर पर समेकित व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 वी तारीख तक निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराना तथा महालेखाकार कार्यालय से व्यय एवं प्राप्ति आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान अनिवार्य है।
11. निकासी-सह-व्ययन पदाधिकारी पत्र निर्गत होने के सात दिनों के अन्दर सभी कर्मियों के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

Q. 1/2019

(राधेश्याम साह),

सरकार के विशेष सचिव ।

✽

ज्ञापांक- 41 (12) व°

स्वा0/पटना दिनांक 11/3/19

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट, शाखा, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख/अपर निदेशक (प0क0)/प्रशाखा पदाधिकारी-12 लेखा शाखा एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Q. 1/2019

सरकार के विशेष सचिव ।

✽

विपत्र कोड- 20-2211001010205

आवंटन (केन्द्रांश)

वित्तीय वर्ष-2018-19

व्यय सारांश

क्रमांक	इकाई व्यय	इकाई व्यय	बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राशि	अब तक कुल प्राप्त आवंटन	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	शेष उपबंध
1	01 01	वेतन	1216058000	1000000000	2216058000	2194815000	20000000	2214815000	1243000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	1443116000	865000000	2308116000	2282409000	20000000	2302409000	5707000
3	01 04	मकान किराया भत्ता	138665000	100000000	238665000	237900000	700000	238600000	65000
4	01 05	परिवहन भत्ता	5546000	5000000	10546000	10400000	90000	10490000	56000
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	6378000	5000000	11378000	11130000	210000	11340000	38000
6	01 07	अन्य भत्ता	4437000	5000000	9437000	8280000	1000000	9280000	157000
योग वेतन एवं भत्ते			2814200000	1980000000	4794200000	4744934000	42000000	4786934000	7266000
7	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	5000000	5500000	893506	0	893506	4606494
8	13 01	कार्यालय व्यय	1700000	5000000	6700000	2350000	0	2350000	4350000
9	13 04	विद्युत प्रभार	3500000	5000000	8500000	5040000	0	5040000	3460000
10	13 06	वर्दी पोशाक	9100000	5000000	14100000	6370000	0	6370000	7730000
11	28 02	संविदा सेवाएं	1000000	1000000	2000000	0	1000000	1000000	1000000
कुल योग			2830000000	2001000000	4831000000	4759587506	43000000	4802587506	28412494

कुल योग-43000000/- (चार करोड़ तीस लाख) रूपये मात्र

41(12)क
1/3/19

1/3/19

सरकार के विशेष सचिव

मुख्य शीर्ष-2211 परिवार कल्याण

लघु शीर्ष-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं

उपशीर्ष-0205-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन

विपत्र कोड- 20-2211001010205

आवंटन (केन्द्रांश)

वित्तीय वर्ष-2018-19

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन (01 01)	जी०या०भत्ता (01 03)	मकान किराया भत्ता (01 04)	परिवहन भत्ता (01 05)	चिकित्सा भत्ता (01 06)	अन्य भत्ता (01 07)	योग-वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06 01)	वर्दी/ पोशाक (13 06)	कार्यालय व्यय (13 01)	सविदा सेवाएं (28 02)	विद्युत प्रभार (13 04)	कुल योग-
1	नालन्दा	6000000	6000000	200000	50000	50000	400000	12700000	0	0	0	0	0	12700000
2	जहानाबाद	2000000	2000000	200000	10000	40000	400000	4650000	0	0	0	0	0	4650000
23	लखीसराय	1000000	1000000	200000	10000	40000	100000	2350000	0	0	0	0	0	2350000
24	वैशाली	6000000	6000000	50000	10000	40000	50000	12150000	0	0	0	1000000	0	13150000
25	सासाराम	5000000	5000000	50000	10000	40000	50000	10150000	0	0	0	0	0	10150000
कुल योग		20000000	20000000	700000	90000	210000	1000000	42000000	0	0	0	1000000	0	43000000

कुल योग-43000000/- (चार करोड़ तीस लाख) रुपये मात्र

41(12)ब०
1/3/19

Q.1019
सरकार के विशेष सचिव
५